


दिनांक	आज्ञा पत्र	
27-2-20	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पोंड के नोटिस पुनः पेश करे। पेश कार्य पर जारी हो। तहत कारिकाई तलेब हो। पत्रावली दिनांक 9-4-20 को पेश हो। /s/	
9.4.20	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रिप्रेजेंटिंग प्रीटारसीन अधिकारी मूलेष आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।	
28.5.20	DUE TO LOCKDOWN FILE PUT ON DATE AT 27.7.20 READER	
27/7/20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28/9/20 को पेश हो।	
28-9-20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.12.20 को पेश हो।	
7-12-20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व दिनांक 10-2-21 को पेश हो।	
10-2-21	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से श्रेष्ठ रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्ट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अखिल अपीलान्ट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दी जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नया से नया होकर बाद तरीक तकमील दाखिल दफतर हो। /s/	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर (कैम्प सन्तान)	